**भारत सरकार**
**पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 418**
**बुधवार, 24 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**लू के कारण हुई मौतें**

418. श्री सुखदेव भगत:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2013 से अब तक लू के कारण हुई मौतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आगामी वर्षों में संपूर्ण देश में भीषण लू चलने में वृद्धि से संबंधित रिपोर्ट को देखते हुए सरकार द्वारा उठाए जा रहे/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार लू को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का है?

**उत्तर**
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए अनुसार विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

(ख) यह एक तथ्य है कि वैश्विक स्तर पर वार्षिक तापमान में वृद्धि हो रही है, और इसका प्रभाव भारत सहित विश्व के विभिन्न भागों में लू में वृद्धि के रूप में दिखाई देता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिससे लू सहित चरम मौसम की घटनाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिली है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. ऋतुनिष्ठ और मासिक पूर्वानुमान जारी करना, उसके बाद तापमान और लू की स्थितियों का विस्तारित अवधि पूर्वानुमान जारी करना।
ii. राज्य सरकार के प्राधिकरणों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को योजना बनाने और उपयुक्त कार्रवाई करने में मदद करने के लिए संपूर्ण भारत में जिलावार लू संवेदनशीलता एटलस।
iii. भारत में गर्म मौसम के खतरे का विश्लेषण जिसमें दैनिक तापमान, पवनें और आर्द्रता की स्थिति शामिल है।
iv. पूरे देश के लिए लू सूचकांक पूर्वानुमान और जिला स्तरों पर लू की स्थितियों का प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान।
v. वेब-जीआईएस प्लेटफॉर्म पर वास्तविक समय में लू की सूचना और चेतावनियां।
vi. लू की स्थितियों से प्रभावित 23 राज्यों में लू कार्य योजना (एचएपी) को राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया गया।
vii. समय पर सार्वजनिक पहुंच के लिए यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम आदि जैसी प्रसारण प्रणालियों के आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने के साथ-साथ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रसारण सेवाओं में सुधार।

(घ) वर्तमान में एनडीआरएफ/एसडीआरएफ सहायता के लिए पात्र आपदाओं की अधिसूचित सूची में 12 आपदाएँ अर्थात् चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट का हमला तथा पाला और शीत लहर शामिल हैं। आपदाओं की मौजूदा अधिसूचित सूची में और आपदाओं को शामिल करने के मुद्दे पर 15वें वित्त आयोग द्वारा विचार किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 8.143 में पाया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया शमन निधि (एसडीआरएमएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया शमन निधि (एनडीआरएमएफ) से वित्त पोषण के लिए पात्र अधिसूचित आपदाओं की सूची बहुत सीमा तक राज्य की जरूरतों को पूरा करती है और इसलिए इसके दायरे को बढ़ाने के अनुरोध विचारणीय नहीं है।

तथापि, राज्य सरकारें कुछ निर्धारित शर्तों और मानदंडों को पूरा करने के अधीन एसडीआरएफ के वार्षिक निधि आबंटन के 10% तक का उपयोग उन प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए कर सकती हैं, जिन्हें वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में 'आपदा' मानते हैं और जो प्राकृतिक आपदाओं की केंद्रीय रूप से अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं।

अनुलग्नक-1

## 2013-2022 के दौरान लू/आतपाघात के कारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मृत्यु:

| क्र. सं. | राज्य/संघराज्यक्षेत्र | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 418 | 244 | 654 | 312 | 231 | 97 | 128 | 50 | 22 | 47 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | असम | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | बिहार | 85 | 131 | 86 | 85 | 84 | 64 | 215 | 53 | 57 | 78 |
| 5 | छत्तीसगढ | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 16 | 3 | 2 | 11 |
| 6 | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | गुजरात | 26 | 45 | 52 | 32 | 25 | 31 | 27 | 12 | 8 | 5 |
| 8 | हरियाणा | 82 | 79 | 34 | 76 | 24 | 56 | 46 | 23 | 14 | 27 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | झारखंड | 42 | 50 | 96 | 45 | 51 | 42 | 88 | 23 | 33 | 47 |
| 11 | कर्नाटक | 6 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | केरल | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | मध्यप्रदेश | 12 | 33 | 24 | 26 | 34 | 15 | 33 | 7 | 2 | 27 |
| 14 | महाराष्ट्र | 80 | 58 | 61 | 96 | 102 | 128 | 159 | 56 | 37 | 90 |
| 15 | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | मेघालय | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | मिजोरम | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | नगालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ओडिशा | 101 | 78 | 60 | 81 | 99 | 40 | 84 | 13 | 15 | 38 |
| 20 | पंजाब | 144 | 123 | 99 | 145 | 60 | 38 | 90 | 110 | 91 | 130 |
| 21 | राजस्थान | 40 | 45 | 41 | 51 | 35 | 43 | 54 | 23 | 1 | 12 |
| 22 | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | तमिलनाडु | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | तेलंगाना # | - | 128 | 182 | 216 | 180 | 107 | 156 | 98 | 43 | 62 |
| 25 | त्रिपुरा | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | उत्तरप्रदेश | 108 | 126 | 487 | 114 | 142 | 176 | 117 | 50 | 35 | 130 |
| 27 | उत्तराखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | पश्चिमबंगाल | 45 | 88 | 28 | 18 | 48 | 46 | 49 | 6 | 11 | 18 |
| | **कुल राज्य** | **1211** | **1239** | **1907** | **1336** | **1127** | **890** | **1274** | **530** | **374** | **729** |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव @ + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | जम्मू और कश्मीर @ * | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | लद्दाख@ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | पुदुच्चेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **कुल संघ राज्य क्षेत्र** | **5** | **9** | **1** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** |
| | **कुल (संपूर्ण भारत)** | **1216** | **1248** | **1908** | **1338** | **1127** | **890** | **1274** | **530** | **374** | **730** |

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

'+' 2013-2019 के दौरान तत्कालीनदादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकडे

'*' 2013-2019 के दौरान लद्दाख सहित तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकडे

'#' 2014 के दौरान नव सृजित राज्य के आंकडे

'@' 2020 में नव सृजित संघ राज्य क्षेत्र के आंकडे

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय

*****